International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030; Impact Factor: RJIF 5.24
Received: 09-12-2018; Accepted: 12-01-2019
www.advancedjournal.com
Volume 4; Issue 1; January 2019; Page No. 96-99

नई उभरती प्रवृतियों को भारत में अन्तर्हित सम्पति अधिकार

डॉ० आर० के० पाटनी [1], अंजली पुरोहित [2]

[1] प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता, विधि संकाय, ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत।

[2] शोधार्थी (विधि संकाय), ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत।

सारांश

बौद्धिक संपदा प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा ज्ञान अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। वर्तमान परिदृश्य में, बौद्धिक संपदा जागरूकता तकनीकी नवाचारों और उभरती हुई ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैः डिजिटल पर्यावरण में बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी और ज्ञान के रचनाकारों के बीच जागरूकता आवष्यक हो गई है क्योंकि डिजिटल वातावरण में जब भी वे होते हैं तो अधिकार उल्लंघन साबित करना मुष्किल हो रहा है। यह पत्र डिजिटल पर्यावरण में बौद्धिक संपदा अधिकारों मुद्दों और चुनौतियों और कॉपीराइट की सुरक्षा में कॉपीराइट कानून का एक सिंहावलोकन देता है। श्रमिकों पर भी ध्यान केंद्रित किए बिना अध्ययन के बौद्धिक संपदा कानूनों को समझने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, बौद्धिक संपदा अधिकारों ने नए आयाम जोड़े हैं और जनता के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता और समझ की एक मजबूत आवष्यकता है।

मूल शब्द : अर्थव्यवस्था, वर्तमान परिदृश्य, डिजिटल पर्यावरण, जागरूकता।

प्रस्तावना

भगवान ने मस्तिष्क को मनुष्य और प्रकृति के लिए एक अद्भुत चीज का उपहार दिया जो उसे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में शारीरिक और जैविक संसाधन के साथ संपत्र करता था। मनुष्य ने अपने दिमाग या दिमाग के उपयोग और इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से अपनी खुद की दुनिया बनाना शुरू कर दिया। मनुष्य को कल्पना और रचनात्मकता के साथ भी प्रदान किया गया है। उनकी कल्पना और रचनात्मकता के साथ,वह अपनी जरूरतों को आराम और सुविधा के लिए विभिन्न लेख या उत्पाद तैयार कर रहा है।

पुस्तकालयों और समाज में उनकी भूमिका तकनीकी विकास और कॉपीराइट कानून के साथ गति में विकसित हुई है। मूल रूप से प्रकाषित कार्यों के लिए एक भंडार जिसे जनता द्वारा उधार लिया जा सकता है या भौतिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। कोई भी इन रचनाओं और आविष्कारों का उपयोग किसी भी प्रतिबंध, आरक्षण या भुगतान के बिना कर सकता है कॉपी कर सकता है। हालांकि समय बीतने के साथ, इन रचनाओं का महत्व और मूल्य महसूस किया गया था। बीसवीं शताब्दी के अंत तक, मानव मस्तिष्क द्वारा बनाई गई और आविष्कार की गई चीजें मालिक की बौद्धिक संपदा के रूप में पहचानी गई। इन गुणों पर मालिक का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था और इसे बौद्धिक संपदा अधिकार (आमतौर पर बौद्धिक संपदा कहा जाता है) के रूप में जाना जाता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार कानून नामक कानूनों का एक नया सेट इन संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। इन बौद्धिक संपदा कानूनों ने विभिन्न श्रेणियों और कॉपीराइट, मरीजों, व्यापार चिन्हों, औद्योगिक डिजाइन इत्यादि जैसे नामों के तहत मालिकों को सुरक्षा प्रदान की।

बौद्धिक संपदा क्या है ?

बौद्धिक संपदा मानव मस्तिष्क का एक अमूर्त सृजन है, आमतौर पर एक मूर्त रूप में व्यक्त या अनुवाद किया जाता है जिसे संपत्ति के कुछ अधिकार सौंपा जाता है। प्रत्येक इंसान को कुछ निष्चित लेकिन बौद्धिक डिग्री के साथ संपन्न किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति विषिष्ट रूप से प्रतिभाषानी है। शब्द बुद्धि से उत्पन्न होता है। लैटिन में रूट ''बौद्धिक'' जिसका अर्थ है शक्ति को महसूस करने के लिए प्रतिष्ठित के रूप में जानना। मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्त करने और अपने ज्ञान बैकं को और अधिक इकट्ठा करके और उसके जीवनकाल में आवष्यक होने पर इसका उपयोग करने की क्षमता है। एक बौद्धिक उत्पाद की बुद्धि बेचकर अपनी जिंदगी बनाता है, जो कि उसके मूल विचार, रचनात्मक विचार के मस्तिष्क बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है, जो बौद्धिक संपदा के रूप में जाना जाने वाला एक विषेष प्रकार की संपत्ति बनाता हैं। एक अधिकार के रूप में हम जानते हैं कानूनी रूप से संरक्षित ब्याज और अधिकार की वस्तु वह चीज है जिसमें मालिक के पास यह रूचि है। बौद्धिक संपदा अधिकार में वस्तु अचल संपत्ति है ।

बौद्धिक संपदा अधिकार

बौद्धिक संपदा साहित्यि,कलात्मक और वैज्ञानिक काम का अधिकार बताता हैः प्रदर्षन कलाकारों के प्रदर्षन : फोनोग्राफ और ब्रॉड–कास्ट : मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में आविष्कार; वैज्ञानिक खोज; औद्योगिक डिजाइन; ट्रेडमार्क; सेवा अंक और वाणिज्यिक नाम और पदनाम, और औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधि के परिणामस्वरूप अन्य सभी उत्पाद। यह पेटेंट को कवर करने वाला एक सामान्य शब्द है; पंजीकृत डिजाइन; ट्रेडमार्क; कॉपीराइट; एकीकृत सर्किट का लेआउट, व्याया पार रहस्य; संविदात्मक लाइसेंस में भौगोलिक संकेतक और विरोधी प्रतिस्पर्धी प्रथाओं। बौद्धिक संपदा मस्तिष्क के निर्माण के लिए संदर्भित है, आविष्कार, लेख के लिए औद्योगिक डिजाइन, साहित्यिक और कलात्मक काम, प्रतीक इत्यादि। वाणिज्य में उपयोग किया जाता है। बौद्धिक संपदा को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः औद्योगिक संपत्ति, जिसमें आविष्कार (पेटेंट), ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन,और स्त्रोत के भौगोलिक संकेत शामिल हैः और कॉपीराइट, जिसमें साहित्यिक और कलात्मक कार्यों जैसे उपन्यास, कविताओं, नाटकों, फिल्मों और संगीत कार्यों शामिल है आदि।ट्रिप्स समझौते के अनुसार,बौद्धिक संपदा को पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिन्ह, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेत, एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन, और अनजान सूचना / व्यापार रहस्यों के संरक्षण में वगीकृत किया गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार क्यों

बौद्धिक संपदा अधिकार अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त और पूरी दुनिया में स्वीकार किए गए थे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों से इन अधिकारों को स्वीकार करने के कुछ कारण हैं:

- नए सृजन के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- रचनाकारों और आविष्कारकों को उचित मान्यता प्रदान करें।
- बौद्धिक संपदा के लिए भौतिक इनाम सुनिष्चित करना।
- वास्तविक और मूल उत्पादों की उपलब्धता सुनिष्चित करना।

बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व

बौद्धिक संपदा कानून का मुख्य उद्देष्य संरक्षण देना, शोध नवाचार को प्रोत्साहित करना और उनके मूल कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना है। बौद्धिक संपदा के बिना, निर्माता और आविष्कारक अपने काम से नए विचारों से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे, और उस काम में किए गए निवेष को कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं होगी।यह मूल्यवान हो सकता है क्योंकि यह विचार का उपयोग, निर्माण, पुनरूत्पादन या प्रचार करने का एकमात्र अधिकार है। संपत्ति के अन्य रूपों की तरह, बौद्धिक संपदा भी एक संपत्ति है जिसका स्वामित्व, बेचा और आदान–प्रदान किया जा सकता है।

बौद्धिक संपदा का महत्व पहली बार पेरिस कन्वेंषन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी (1883) और साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंषन (1886) में मान्यता प्राप्त था। दोनों सधि विष्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रषासित हैं। विष्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (टीआरआईपीएस) पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद बौद्धिक संपदा ने महत्वपूर्ण महत्व माना है। 1995 से भारत विष्व व्यापार संगठन (डब्लयूटीओ) सदस्य रहा है।

कॉपीराइट

कॉपीराइट काम के मूल टुकड़े के निर्माण में किसी के लेखक, कलाकार या किसी अन्य निर्माता, व्यय के श्रम, कौषल और निर्णय की रक्षा करता है। यह बौद्धिक कार्य के रचनाकारों को निष्चित अवधि के विषेष रूप से दिए गए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। साहित्यिक काम (लेखन में कुछ भी) कलात्मक काम (ड्राइंग, मानचित्र, योजनाएं, आदि) संगीत काम, फिल्में, ध्वनियां रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम बिक्री या किसी अन्य उपयोग के लिए। कॉपीराइट सुरक्षा तब शुरू हाती है जब वास्तव में मूर्त रूप में काम किए जाते हैं। कॉपीराइट को तीन बुनियादी कारणों से डिजाइन किया गया था जो रचनाकारों को उनके मूल कार्यों के लिए पुरस्कृत करना है; जनता के कार्यों की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए; और कुछ परिस्थितियों में जनता द्वारा कॉपीराइट किए गए कार्यों की पहुंच और उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए।

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के आधार के पर भारत का एक बहुत मजबूत और व्यापक कॉपीराइट कानून है, जिसे 1984,1929,1949 और 1999 में संषोधित किया गया था। कॉपीराइट की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान अधिनियमित भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1847 से हुई है। इसके अलावा 1914 का कॉपीराइट अधिनियम 1911 के ब्रिटिषा कॉपीराइट अधिनियम के संषोधित संस्करण को संषोधित किया गया था। भारतीय कानून कॉपीराइट के अनुसार लेखक की मृत्यु के बाद 60 साल बाद सार्वजनिक डोमेन में आता है। इसका मतलब है कि लेखक अपने जीवनकाल के दौरान और उनके उत्तराधिकारी के 60 साल बाद उनके उत्तराधिकारी मृत लेखक के लेखन से आय का लाभ उठा सकते हैं।

पेटेंट

पेटेंट एक निष्चित अवधि के लिए एक पेटेंट आविष्कार करने, उपयोग करने और बेचने से रोकने के लिए किसी आविष्कार के लिए एक देष द्वारा दिया गया एक विषेष अधिकार है (पेटेंट दिया जाने के बाद, वे एक फाइल दर्ज करने की तारीख से 20 साल के लिए मान्य हैं आवेदन, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के अधीन)। इस कानून का उद्देष्य आविष्कारों को उनकी सुरक्षा और आविष्कार के उचित उपयोग को बढ़ावा है। मालिक किसी अन्य व्यक्ति के आविष्कार का अधिकार भी बेच सकता है, जो पेटेंट का नया मालिक बन जाएगा। एक बार पेटेंट समाप्त हो जाने पर, सुरक्षा समाप्त होती है, और एक आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में प्रवेष करता है।पेटेंट अधिकार प्रकृति में क्षेत्रीय है और एक देष में प्राप्त दूसरे देष में लागू नहीं है। भारत में पेटेंट सिस्टम पेटेंट अधिनियम, 2005 और पेटेंट नियम, 2003 द्वारा संषोधित पेटेंट्स (संषोधन) नियम 2006 द्वारा संषोधित के रूप में शासित है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत पेटेंट कार्यालय कोलकाता, मुंबई चेन्नई और दिल्ली में स्थित है, जो अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में पैदा होने वाले पेटेंट के लिए आवेदनों से निपटने के लिए है। नागपुर में स्थित पेटेंट सूचना प्रणाली (पीआईएस) दुनिया भर के आधार पर पेटेंट विनिर्देषों और पेटेंट से संबंधित साहित्य का एक व्यापाक संग्रह रखती है और खोज सेवाओं और पेटेंट दस्तावेज़ आपूर्ति सेवाओं के माध्यम से पेटेंट या पेटेंट से संबंधित साहित्य में निहित तकनीकी जानकारी प्रदान करती है।

व्यापर चिन्ह

एक व्यापार चिन्ह एक दृष्य प्रतीक है जो एक शब्द, अक्षरों, संख्यात्मक, नाम, चिन्ह, हस्ताक्षर, प्रतीक, डिजाइन, या अभिव्यक्ति हो सकता है किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों या सेवाओं को अलग करता है। इसे लोकप्रिय रूप से ''ब्रांड नाम'' कहा जाता है। यह मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाओं की पहचान करने और खरीदने में मदद करने के लिए इसकी अनूठी ट्रेडमार्क द्वारा इसकी प्रकृति और गुणवत्ता का संकेत मिलता है। प्रारंभिक पंजीकरण अवधि 10 साल तक वैध है; समय–समय पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। यह उपभोक्ताओं को किसी उत्पादन या सेवा की पहचान करने और खरीदने में सहायता करता है क्योंकि इसकी अनुठी ट्रेडमार्क द्वारा संकेतित इसकी प्रकृति और गुणवत्ता, उनकी आवष्यकताओं को पूरा करती है।

औद्योगिक डिजाइन

ओधोगिक डिजाइन रचनात्मक गतिविधि का संदर्भ देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसी उत्पाद की सजावटी या औपचारिक उपस्थिति हाती है, और डिजाइन का अधिकार एक उपन्यास या मूल डिजाइन को संदर्भित करता है जो वैध रूप से पंजीकृत डिजाइन के मालिक को दिया जात है। औद्योगिक डिजाइन बौद्धिक संपदा का एक तत्व हैं। ट्रिप्स समझौते के तहत, औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को प्रदान किया गया है। एक औद्योगिक डिजाइन एक औद्योगिक वस्तु यानी विन्यास पैटर्न, रगं और शैली के दृष्य डिजाइन या औपचारिक उपस्थिति की रक्षा करता है। इसे इंजीनियरिंग डिजाइन के रूप में भी जाना जाता है। एक औद्योगिक डिजाइन उत्पादों के उपयोगकर्ता पहलूओं पर केंद्रित है, इसलिए यह उत्पादन के साथ–साथ विपणन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिजाइन कानून का मुख्य उद्देष्य औद्योगिक उत्पादन के डिजाइन तत्व को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। यह उद्योगों के क्षेत्र में अभिनव गतिविधि को बढ़ावा देने का भी इरादा है। यह दो आयामी या तीन आयामी हो सकता है।

व्यापार रहस्य

किसी भी जानकारी का उपयोग किसी व्यापार के संचालन में किया जा सकता है और वास्तविक या संभावित आर्थिक लाभ के लिए

पर्याप्त रूप से मूल्यवान है, इसे व्यापार रहस्य माना जाता है।व्यावसायिक प्रथाओं से संबंधित एक व्यापार रहस्य गैर–सार्वजनिक या गोपनीय व्यावसायिक जानकारी है। यह प्रक्रिया, विधियों या तकनीक, रणनीतियों, डिजाइन, सूत्र, पैटर्न और प्रथाओं आदि हो सकती है जो आमतौर पर अन्य उद्यमों के लिए ज्ञात नहीं है, अगर यह ज्ञात है कि यह अवैध है। व्यापार गुप्त कानून देश से भिन्न होता है। इसे औद्योगिक/वाणिज्यिक/विनिर्माण रहस्य भी कहा जाता है।

बौद्धिक संपदा के अन्य रूप

बौद्धिक संपदा के मूल रूपों के भीतर, कई भिन्नताओं और विशेष प्रकार की सुरक्षा संभव है।

भौगोलिक संकेत एक ऐसे इलाके में पैदा होने के समान अच्छे की पहचान करते हैं जहां किसी दिए गए गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अच्छे की अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से इसकी भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। एक भौगोलिक संकेत उन समानों पर उपयोग किया जाता है जिनके पास एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और मूल के उस स्थान के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। आमतौर पर, भौगोलिक संकेत में माल की उत्पत्ति के स्थान का नाम होता है। विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतों का उपयोग किया जा सकता है। भौगोलिक संकेतों का उपयोग कृषि उत्पादों तक ही सीमित नहीं है। वे उस उत्पाद के विशिष्ट गुणों को भी हाइलाइट कर सकते हैं जो उत्पाद की उत्पत्ति के स्थान में पाए गए मानव कारकों के कारण है।

प्रमुख मुद्दे

जबकि भारत में बौद्धिक संपदा प्रणाली में मजबूत बौद्धिक संपदा कानून शामिल हैं, लेकिन इसमें कई कमियां हैं क्योंकि इसमें प्रभावी कार्यान्वयन की कमी है, जिसके लिए ''बौद्धिक संपदा मामलों के फैसले को कम से कम प्राथमिकता'' अक्सर एक कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है। प्रमुख चुनौती है कि प्रवर्तन अधिकारियों और न्यायपालिका को अन्य आर्थिक अपराधों के समान, बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दों को उठानें के लिए, उनके नीति लोकेटर के तहत उन्हें सूचित करना हैं। बौद्धिक संपदा निधि रखने में भी कई मुद्दे हैं, जिनका उपयोग देश में बौद्धिक संस्कृति को और विकसित करने के लिए किया जा सकता है। भारत के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा तैयार करना आवश्यक है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में काम करने में मदद करेगा। यह एक मजबूत सामाजिक–आर्थिक नींव और गहरे अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना को सक्षम करेगा।

हाल के वर्षों में, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का मुद्दा विकासशील देशों के मुद्दों पर सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण के बीच बहस योग्य है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच 1993 में लागू किए गए टीआरआईपी समझौते, इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं होने पर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के खतरे के साथ कई विकासशील देशों में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा और प्रवर्तन के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करते है।

कई दशकों से, बौद्धिक संपदा कानून ने कानूनी नियम विकसित किए है जो उपरोक्त प्रतिस्पर्धी हितों को सावधानी सें संतुलित करते हैं। उद्देश्य रचनात्मक और अभिनव गतिविधियों में संलग्र होने के लिए प्रोत्साहनों को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि नियमों और नीतियों को भी प्रदान करना है जो वाणिज्यिक बाजार पर प्रभाव को कम करते हैं और आम तौर पर विचारों के मुक्त प्रवाह के साथ हस्तक्षेप को कम करते है। संक्षेप में, कानून ने प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन विकसित किया है। यह देखा गया है कि विधायी अधिनियमों और न्यायिक निर्णयों ने बौद्धिक संपदा का व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। सुरक्षा के लिए योग्य विषय वस्तु हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से विस्तार जारी रही है। इस विस्तार ने पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कानून के बीच स्पष्ट विवरण हटा दिया है। इसने ओवरलैप के रूप में बौद्धिक संपदा का अधिक संरक्षण किया है जो बौद्धिक संपदा कानून के कई निकायों को एक ही विषय वस्तु की समानता से रक्षा करने की अनुमति देता है। इस तरह की ओवरलैपिंग सुरक्षा मुश्किल है क्योंकि यह सावधानी से विकसित सिद्धांतो में हस्तक्षेप करती है जो इस तरह की रचनाओं के सार्वजनिक उपयोग के खिलाफ बौद्धिक रचनाओं में निजी संपत्ति के अधिकारों को संतुलित करने के लिए समय के साथ विकसित हुई है।

चोरी–चोरी एक प्रमुख मुद्दा है। यह किसी अन्य व्यक्ति की बौद्धिक संपदा की चोरी का कार्य है जिसमें विचार, आविष्कार, और लेखकत्व, शब्दों, नारे, डिजाइन, मालिकाना जानकारी के मूल कार्यों और मुख्य लेखक या आविष्कार को श्रेय दिए बिना स्वयं का उपायेग करना शामिल है।

आज, डिजिटल तकनीक इसकी गति और आसानी से पहुंचने के लिए जानकारी बनाने और संग्रहीत करने के लिए प्रमुख उपकरण है। बौद्धिक संपदा अधिकार इंटरनेट पर लागू होते हैं लेकिन मुख्य मुद्दा उन्हें लागू करने योग्य बनाना है। यदि वे डिजिटल प्रारूप में हैं तो पुनः उत्पादित करने की आसानी कम लागत वाली है और प्रतियों की नजदीकी गुणवत्ता है। प्रकाशकों का तर्क है कि इंटरनेट मूल रूप से प्रकाशनों की प्रकृति और साधनों को बदलकर और उनके काम को इंटरनेट चोरी के लिए बेहद कमजोर बनाकर अपने बौद्धिक संपदा हितों को नुकसान पहुंचाता है। इंटरनेट के प्रबंधन की वितरित प्रकृति किसी भी उपयोगकर्ता के लिए किसी भी चैनल के माध्यम से साइबर स्पेस नामक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापक रूप से काम करने के लिए संभव बनाता है। उपयोगकर्ता आसानी से ई–मेल या व्यक्तिगत वेबसाइट पर सामाचार समूहों को एक काम वितरित कर सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार कानून ने कंप्यूटर प्रोग्रामर जैसे उन्नत तकनीकों के लिए समस्याएं प्रस्तुत की हैं। कानून गोद लेता हैं कि कुछ या तो कॉपीराइट के माध्यम से संरक्षित है या एक पेटेंट द्वारा संरक्षित मशीन है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं।

भारतीय परिस्थिति में, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का ट्रैक रखा, वर्तमान कॉपीराइट कानून में पश्चिम की तुलना में कई घाटे है। चूंकि भारत ने ''डब्ल्यूआईपीओ इंटरनेट संधि'' पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए भारत में डीएमसीए में भारत में कोई समान कानून नहीं है। भारत के वर्तमान कॉपीराइट अधिनियम में 'तकनीकी सुरक्षा उपायों' और इलेक्ट्रॉनिक अधिकार प्रबंधन की जानकारी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के कुछ प्रावधान तकनीकी उपायों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेवा कर सकते है। आईपीसी की धारा 23 में 'गलत लाभ या गलत हानि' की बात है। संक्षेप में, 'बौद्धिक संपदा' की अवधारणा में मानव के रचनात्मक और साहित्यिक आउटपुट शामिल हैं जैसे उपन्यास, संगीत, गति चित्र और औद्योगिक डिजाइन जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। बौद्धिक संपदा में मूल रचनाएं होती हैं लेकिन समान रचनाएं दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित होती है। सबसे पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए रचनाओं का उपयोग किया जा रहा है, और दूसरा रचनाएं हैं जो कॉपीराइट सामग्री है। औद्योगिक और स्त्रोत के भौगोलिक संकेत भी शामिल हैं। पेटेंट ऐसे अधिकार हैं जिन्हें विशेष रूप से किसी उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित आविष्कारों के लिए दिया जाता है।

बौद्धिक संपदा में चुनौतियां : भारतीय परिप्रेक्ष्य से

आज की दुनिया में, बौद्धिक संपदा लगभग हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फार्मास्यूटिकल्स और शोध उन्मुख संगठनों के लिए अनुसंधान का एक अभिन्न अंग बन गया है। नीति तैयार

करने, सुरक्षा प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के विकास और बौद्धिक संपदा क्षेत्र को वित्त पोषण में सरकार के निरंतर प्रयासों ने इस उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रमुख मील का पत्थर हासिर करने के बाद भी, हमारे उद्योग को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परेशानी चुनौतियों का सामना करना पड रहा है। वैश्विक एक्सपोजर प्राप्त करने के बाद भी भारतीय बौद्धिक संपदा को अपनी जडें दूरदराज के इलाकों में फैलाने की कमी है। वर्ष 2015 में यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किए गए जीआईपीसी इंडेक्स के रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले दो वर्षों में भारत के प्रदर्शन में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है – भारत वर्तमान में दूसरी आखिरी स्थिति में है दुनिया भर। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन (बौद्धिक संपदा) एक अभिशाप बन गया है और यह भारत के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा बाधा है। मिसाल के तौर पर, हर साल फिल्म उद्योग को अनचाहे कॉपीराइट उल्लंधन के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा, भारतयी बाजार में बहुत से विदेशी कंपनियों को डुप्लिकेट या नकली सामानों को स्वतंत्र रूप से बेचने की इजाजत है क्योंकि अभियोजन पक्ष के डर के रूप में और परिणामी क्षति अन्य विकसित देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है। इस प्रकार देश में मजबूत प्रवर्तन तंत्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक मजबूत बौद्धिक संपदा कानून होने तक उद्देश्य को तक तक पूरा नहीं किया जाएगा जब तक कि समान रूप से मजबूत प्रवर्तन मशीनरी न हो। देश की न्यायिक प्रणाली ने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार उचित रूप से प्रशासित हों। अदालतों द्वारा जहां भी और जब भी समझा जाता है, नुकसान और आदेश दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, चीनी निर्माता शीओमी के खिलाफ एरिक्सन द्वारा दायर पेटेंट उल्लंघन मुकदमें में, भारत में बेचे जाने वाले मोबाइल हैंडसेट में अपने आठ एसईपी (मानक आवश्यक पेटेंट) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में शीओमी उपकरणों के आयात, विज्ञापन, निर्माण और बिक्रीय को रोकने के लिए एक पूर्व–पक्षीय आदेश दिया। बाद में जियामी से अपील पर, कंपनी को बेचे जाने वाले प्रत्येक हैंडसेट के पीछे 100 रूपये की रॉयल्टी राशि जमा करने के बाद देश में अपने उत्पादों में से एक को बेचने की अनुमति थी। इस प्रकार, बड़ी संख्या में आबादी (शिक्षित और अशिक्षित) के बीच जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है जो अभी भी बौद्धिक संपदा और इसके लाभों के बारे में अज्ञानी है। समाज के सभी छिपे हुए क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता को बढावा देने के लिए समय की आवश्यकता है। कानूनी मुद्दों को पूरा करने के लिए पेशेवरों (न्यायाधीशों, वकालत) की एक कुशल टीम की आवश्यकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है,

भारत का बौद्धिक संपदा शासन ट्रिप्स समझौतों के नियमों और मानकों के अनुसार पूरी तरह से खड़ा है। आईपीआर के विभिन्न मामलों से निपटने वाले विभिन्न विभागों और मंत्रालयों का एकीकरण एक अभिन्न बौद्धिक संपदा नीति तैयार करने के लिए पूर्व शर्त है। भारतयी सरकार के निरंतर प्रयासों ने बौद्धिक शासन को गति प्रदान की लेकिन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए और प्रयास किए जाने हैं जो बौद्धिक संपदा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबंधित करते है। अंत में, बौद्धिक संपदा से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक उचित और कठोर कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानूनों का अवलोकन

1. कॉपीराइट अधिनियम, 1957, कॉपीराइट नियम, 1958 और अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट आदेश, 1999।
2. पेटेंट अधिनियम, 1970 पेटेंट नियम, 2003, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (पेटेंट प्रक्रिया) नियम, 2010 और पेटेंट (बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के लिए अपील और अनुप्रयोग) नियम, 2011.
3. व्यापार चिन्ह् अधिनियम, 1999, द ट्रेड मार्क्स रूल्स, 2002, द ट्रेड मार्क्स (इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के लिए एप्लीकेशन एंड अपील) नियम, 2003 और बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (प्रक्रिया) नियम, 2003।
4. डिजाइन अधिनियम, 2000 और डिजाइन नियम, 2001।
5. भौगोलिक संकेतों के सामान (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और भौगोलिक संकेतों के सामान (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002।
6. अर्ध चालक एकीकृत सर्किट लेआउट–डिजाइन अधिनियम, 2000 और सेमीकंडक्टर्स एकीकृत सर्किट लेआउट–डिजाइन नियम, 2001.

सन्दर्भ

1. गुली, मनोज। (2012)। बौद्धिक संपदा अधिकारः भारत में विनियम और रूझान। इंटरनेषनल जर्नल आफॅ इंजीनियरिंग रिसर्च,3 (12), 15–27
2. सिन्हा, अभिजीत और भारद्वाज, आरके (2010) डिजिटल पुस्तकालय और बौद्धिक संपदा अधिकार।
3. कत्रन, एन। (2010)। बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व। बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 1 (1),
4. रच, मनीष,ए। (2013)। मॉडयूल ३– आईपीआर की मूल बाते; गुजरात टेक्रोलॉजिकल यूनिवर्सिटी।
5. मालवाड,एनएम और अंजनप्प,एम। (1994)। डिजिटल पर्यावरण में आईपीआरः पुस्तकालय समुदाय के लिए चिंता का मुद्दा,
6. कोरे,सयालीण्सी, जाधव, षिताल। कदम, अमृता। एस एंड चव्हाण, एस उषिलाण्डी (2015)।बौद्धिक संपदा अधिकार का परिचय। एषियाई जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड टेक्रोलॉजी, 5 (4), 222–230।
7. भारत में बौद्धिक संपदा कानून पर एक संक्षिप्त विष्लेषण, शाजीदा ताजदेन, एलएलबी, मुंबई विष्वविद्यालय,
8. http://www.ijeronline.com/documents/volume s/vol%203%20issue%202/ ijer20120301MA(2).pdf
9. http://rajkbhardwaj.files.wordpress.com/2014/02/art-9.pdf
10. http://intolegalworld.com/2017/07/30/brief-analysis-intellectu-law-india/
11. http://www.gtu.ac.in/circulars/13Aug/module-I-BasicsofIPR_3rd Aug2013.pdf
12. http://ir.inflibnet.ac.in/bitstream/1944/130/1/cal i_37.pdf
13. https://www.civilserviceindia.com/subject/General-studies/notes/issues-to-intellectual-property-rights.html
14. http://ieame.com/masteradmin/uplodfolder/IJIPR%20%20Importance%20 of%20IntellectuaI%20property%20Rights.pdf